


आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/

॥ /वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०  
(जीएसटी अनुभाग)  
लखनऊ: दिनांक: 21, नवम्बर, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ०प्र० अधि० 1 सन 2017) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) में कमिश्नर, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देने वाले डाटा बेस एक्सेस और रिट्रीवल सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 मास की विवरणी के प्ररूप जीएसटीआर-5क की समय सीमा 15 दिसंबर, 2017 तक बढ़ाता हूँ।

  
21/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)  
कमिश्नर वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश